न्यायालय तहसीलदारबेगूँ जिला चित्तौडगढ

...रण संख्या 03/2023

निर्णय दिनांक 01.05.2024

1.दुर्गालाल पिता होकमा मीणा निवासी धावडाकुडी तह.बेगूँ
2. धापुबाई पत्नि दुर्गालाल मीणा निवासी धावडाकुडी तह.बेगूँ

प्रार्थी

वनाम

श्री कैलाशचन्द्र पिता नंदलाल धाकड निवासी रामपुरिया तह.बेगूँ

अप्रार्थी

<u>आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधि.</u>

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 09.06.2023 को इस आशय के तथ्य के साथ अन्तर्गत धारा 183 वी रा.का.अधि. का प्रार्थना पत्र पेश किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी जो कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा इसकी खातेदारी की भूमी ग्राम धावडाकुडी पटवार हल्का धामंचा तहसील वेगूँ मे स्थित होकर आराजी नम्बर 161/111 रकबा 0.8100 है. जमीन है इस भूमि पर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया है तथा प्रार्थी को मौके से भगा दिया है।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये उसके बाद भी विपक्षी अनुपस्थित रहा।पटवारी पटवार हल्का धामंचा व भू अभिलेख निरिक्षक चेची से उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक 26.10.2023 को प्राप्त हुई,रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि आ.न.161/111 रकबा 0.81 मे से 0.29 है. भूमि पर विपक्षी श्री कैलाशचन्द्र पिता नंदलाल धाकड का कब्जा होना बताया।

प्रार्थी की और से प्रकरण मे नकल जमाबंदी ,नक्शा ट्रैस तथा नरसिंहलाल पिंता दुर्गालाल मीणा निवासी धावडाकुडी व दुर्गालाल पिता होकमा मीणा निवासी धावडाकुडी का शपथपत्र प्रस्तुत किया ।विपक्षी की और से कोई दस्तावेजी सबुत अवसर प्रदान किये जाने पर भी पेश नही किये गये ।

मुताविक जमाबंदी सम्वत 2078 खाता संख्या 18 आ.न.161/111 रकबा 0.8100 है. खातेदार श्री दुर्गालाल पिता होक्मा ½ धापुबाई पत्नि दुर्गालाल ½ मीणा के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज से भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की होना प्रमाणित है इसके [illegible] मे विपक्षी की और से कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नही किये गये है इ[illegible] खातेदारी की भूमि होना प्रमाणित है। प्रार्थी जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है इस संबंध मे दोनो पक्षो के मध्य कोई विवाद नही हो[illegible] जाति के व्यक्ति की होना प्रमाणित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:07:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का मत है कि धारा 183 बी रा.का.अ. की कार्यवाही संक्षिप्त विचारण की श्रैणी मे आती है तथा यह धारा अनुसूचित जाति के खातेदारो के हितो की रक्षा हेतु बनायी गयी है। तथा न्यायालय का यह कर्तव्य अपेक्षित किया गया है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियो से मुक्त कराया जावे। प्रस्तुत प्रकरण मे भूमि निर्विवाद रूप से मीणा जाति के व्यक्ति के खातेदारी

(2)

की है जिस पर धाकड जाति के व्यक्ति का कब्जा है। जो इस श्रेणी का नही होने से उसे इस भूमि पर कब्जा बनाये रखने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है इसलिये न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी की भूमि से विपक्षी का कब्जा हटाकर भूमि को अतिचार से मुक्त करके प्रार्थी को सिपुर्द कराई जावे।

अत: न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम धावडाकुडी पटवार हल्का धामंचा के आराजी न. 161/111 रकबा 0.8100 है. मे से 0.29 है. भूमि पर से विपक्षी का कब्जा हटाया जाकर प्रार्थी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने का आदेश पारित किया जाता है आदेश की पालना के लिये पटवारी पटवार हल्का धामंचा व भू अभिलेख निरिक्षक चेची को आदेश की प्रति के साथ पत्र जारी होवे कि पटवारी व भू.अ.नि. 07 दिन की अवधि मे मौके पर उपस्थित होकर ग्राम धावडाकुडी का आराजी संख्या 161/111 रकबा 0.8100है मे से 0.29 है. भूमि का कब्जा प्रार्थी को सिपुर्द कर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया,पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एव दाखिल दफ्तर हो।

(धर्मेन्द्र स्वामी)
आरटीएस
तहसीलदार बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:07:45 IST
Reason: SelfAttested